T.S.- 16/2021

20-4-23

वादी एवं प्रतिवादीगण की हाजरी दी गई।
अभिलेख वादीगण की ओर से दाखिल
संशोधन आवेदन दिनांक- 21-12-22 तत्पश्चात
प्रतिवादी सं० 8 एवं 9 की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर
पर आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया।

वादी ने अपने आवेदन में निवेदन किया
है कि वादी के द्वारा यह मुकदमा वाद पत्र
के मद नं०-1 में अंकित भूमि पर अधिकार
की उद्घोषणा के लिए दाखिल किया गया था
लेकिन प्रतिवादी प्रथम पक्ष के द्वारा जबरन दिनांक-
13.12.22 को विवादी भूमि पर पुराना छप्पर कि
एक काठ की गुमटी लाकर रख दिया और
वादीगण को विवादी भूमि से बेदखल कर दिया
जिसके कारण प्रस्तुत संशोधन आवेदन दाखिल
करने की आवश्यकता हुई। वर्तमान संशोधन
से वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव पड़ेगा और
ना ही प्रतिवादीगण के हित पर कोई प्रतिकूल
असर पड़ेगा। अतः निवेदन है कि वादी द्वारा
दाखिल आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा करें।

प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक-
16.2.23 में निवेदन किया गया है कि वादीगण
द्वारा दाखिल संशोधन आवेदन मात्र वाद पत्र की
प्रकृति को परिवर्तन करने की एक चाल है
जो स्वीकार करने योग्य नहीं है। और यदि
उक्त संशोधन आवेदन को स्वीकृत किया जाता है
तो प्रतिवादीगण के हित पर विपरीत असर पड़ेगा।
क्योंकि उक्त आवेदन से वाद की प्रकृति परिवर्तित
होने की संभावना है। वस्तुतः यह वाद वादी के द्वारा
प्रारंभ में परिसम्पत्ति-1 अंकित भूमि पर अधिकार की

T.S. 16/2021

20-4-23
Cont.

उद्घोषणा के लिए लाया था जिसके वादीगण ने ~~आशयपूर्वक~~ कपटपूर्वक प्रतिवादी क्र० 1 से लेकर 7 को प्रतिवादी बनाया है। ताकि इस संशोधन आवेदन को स्वीकृत करा सकें तथा वादीगण का यह कथन की प्रतिवादीगण ने दि० 13.12.22 को विवादी भूमि पर एक पुराना छप्पर एवं एक काठ की गुमटी लाकर रख दिया एवं जमीन से बेदखल कर दिया, बिल्कुल झूठ है। वास्तविकता यह है कि प्रतिवादीगण द्वारा विवादी भूमि पर वाद दायर करने के वर्षों पूर्व ~~से~~ से स्टील करकट छत युक्त विवाहित घर एवं काठ की गुमटी रहता आया है। वादीगण ने दिनांक 01.12.2021 को भी एक संशोधन आवेदन दाखिल किया था जिसमें वाद के संबंधित भूमि में गैर प्रतिवादी का नाम दर्ज कराया था जबकी प्रतिवादी क्र० 8 एवं 9 के अतिरिक्त प्रतिवादी क्र० 1 ता 7 का वर्तमान में इस मुकदमा से कोई सरोकार नहीं है इस प्रकार से यह साबित होता है कि वादी द्वारा दाखिल संशोधन आवेदन पोषणीय नहीं है क्योंकि खारिज किये जाने योग्य है अतः निवेदन है कि वादी द्वारा दाखिल आवेदन को खर्चा के साथ खारिज करने की कृपा की जाय।

उभयपक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा नक्शा-1 में उल्लेखित भूमि पर छप्पर व काठ का दुकान होना स्वीकृत किया गया है वादी द्वारा पूर्व में भी संशोधन आवेदन दाखिल किया गया था जिसमें नाम प्रतिवादी क्र०

73-16/21

Con. का नाम जोड़ने की प्रार्थना किया गया था। जबकि प्रस्तुत संशोधन आवेदन के द्वारा वादीगण अपने वाद पत्र के अनुतोष में भी परिवर्तन करना चाहते हैं। प्रतिवादी का यह कथन बिल्कुल गलत है कि प्रस्तुत संशोधन आवेदन स्वीकृत किये जाने से प्रतिवादीगण का हित प्रभावित होगा। एवं संशोधन के आलोक में प्रतिवाद पत्र में भी संशोधन करना होगा। प्रस्तुत वाद अभी प्रारंभिक अवस्था में है तथा पक्षकारों के बीच में उत्पन्न विवादों का अंतिम रूप से विनिश्चयन के लिए वास्तविक प्रश्न का अभिकथन में आना आवश्यक है अतः न्यायहित में वादी द्वारा दाखिल संशोधन आवेदन दि०- 21.12.2022 को मो० - 600/- रू० खर्चा पर स्वीकृत किया जाता है तथा वादी को निर्देश दिया जाता है कि निर्धारित समय सीमा के अंदर वाद पत्र में संशोधन करें। साथ ही प्रतिवादी गण यदि चाहे तो इस संशोधन के आलोक में मात्रा में प्रतिवाद पत्र दाखिल कर सकते हैं।

दिनांक- 20-5-23 वास्ते वाद बिन्दु का गठन।

ह०